-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **व्यक्ति को तमंचा दिखाकर लूटने वाले 02 अभियुक्तों को पैलानी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से लूट के रुपए आदि सहित घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस आदि बरामद ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में व्यक्ति को तमंचा दिखाकर लूटने वाले 02 अभियुक्तों को थाना पैलानी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम गड़ोला के रहने वाले संदीप पुत्र रामप्रताप के साथ दिनांक 20.06.2026 की शाम में चाट/चाउमीन आदि की बिक्री कर घर जाते समय ग्राम नरौली के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा तमंचा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था । जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे इसी क्रम में दिनांक 21/22.06.2026 की रात्रि को थाना पैलानी पुलिस को ग्राम मरझा-पड़ेरी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों के बैठे होने की सूचना प्राप्त हुई जो सम्भवतः किसी घटना को अंजाम देने वाले है । सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबन्दी करते हुए पकड़ने का प्रयास किया गया तो उक्त लोगों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर की गई । पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुए तत्परता से घेरकर दो अभियुक्तों को पकड़ लिया गया जबकि एक अभियुक्त अन्धेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस सहित लूट के 03 हजार रुपए आदि बरामद हुए है । पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उनके द्वारा एक व्यक्ति को तमंचा दिखाकर रुपए आदि लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था साथ ही बताया कि आज पुनः वे लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे । इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों और कितने से लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है । बता दें कि अभियुक्त राम उर्फ भास्कर पुत्र जयनारायन पर पूर्व में भी लूट और हत्या के भी मामलें दर्ज है ।

बरामदगी-

- 03 हजार रुपए नकद (लूट के)
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)
- 02 अवैध तमंचा (घटना में प्रयुक्त)
- 02 खोखा कारतूस (घटना में प्रयुक्त)
- 02 जिन्दा कारतूस
- 01 आधार कार्ड व 01 पैन कार्ड (लूट के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राम उर्फ भास्कर पुत्र जयनारायन निवासी नरौली थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. रवि प्रकाश पुत्र अनिल कुमार निवासी नरौली थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 139/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 140/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राम उर्फ भास्कर उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 380/21 धारा 394/412 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 102/19 धारा 302/201 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राम मोहन राय प्र0नि0 थाना पैलानी
2. श्री कृष्ण प्रताप सिंह चौकी प्रभारी खप्टिहाकला
3. उ0नि0 श्री इकरार अहमद
4. उ0नि0 श्री मनोज कुमार यादव
5. उ0नि0 श्री यशवंत सिंह
6. कां0 कृष्ण कुमार यादव
7. कां0 अनिल अहिरवार
8. कां0 देवेन्द्र सिंह
9. कां0 सचिन पटेल
10. कां0 निहाल रजा